## BUREAU OF INDIAN STANDARDS (Vigilance Department)

Our Ref: Vig/10:13/2018-19

. 05.2019

Sub: Furnishing Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018 (as on 01 January 2019) by Group A officers

The Annual Immovable Property Return (AIPR) for the year 2018 (as on 01 January 2019) are being received from Group 'A' Officers of BIS as per Rule 18(1)(ii) of CCS (Conduct) Rules, 1964.

It has been observed by the Competent Authority that despite instructions of vigilance Department vide circular no. vig/10/13/2012-13 dated 21.01.2019, Group 'A' Officers are still mentioning "not known/no idea" or have kept blank the Column 4 of Prescribed Proforma VG-6 i.e. "Present Value".

Some officers are still filling in their AIPR as **None**, **No change**, **same as last year**" whereas the officers are required to mention categorically whatever property they are holding even if it is repetition of the last AIPR submitted or 'NIL' whichever the case may be.

All such concerned officials are requested to re-submit their AIPR at the earliest in compliance with the observation of the Competent Authority. The officers, who have yet to submit their AIPR, are also requested to take cognizance of the above mentioned observations and fill in their AIPRs accordingly as per rules.

Scientist-F (Vigilance)

Circulated to all Departments/Sections at HQrs, Training Institute-Noida, CL and Regional/Branch/Inspection Offices of BIS

Copy to H(ITS) to host on BIS-Intranet

## भारतीय मानक ब्यूरो (सतर्कता विभाग)

हमारा संदर्भ :सतर्कता/10:13/2018-19

.05.2019

विषय : समूह क के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 तक) की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी (एआईपीआर)भेजने के संबंध में ।

सीसीएस(आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(1)(ii) के अनुसार बीआईएस के समूह 'क' के अधिकारियों की वर्ष 2018 (01 जनवरी 2019 तक) की वार्षिक अचल संपति विवरणी प्राप्त हुई हैं।

सतर्कता विभाग के दिनांक 21.1.2019 के परिपत्र सं. सतर्कता/10/12/2012-13के अनुदेश के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह पाया गया है किसमूह 'क' के अधिकारियों ने "जानकारी नहीं/पता नहीं" लिखा है या वीजी-6 के निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 4 अर्थात् "वर्तमान मूल्य" को खाली छोड़ दिया हैं।

कुछ अधिकारियों ने अपनी एआईपीआर में अभी भी " कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, पिछले वर्ष के समान" भरा हैं। जबिक अधिकारियों के पास जो भी संपत्ति है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है, भले ही वह पिछली एआईपीआर की पुनरावृतिहो या 'शून्य', जो भी मामला हो।

सभी संबंधित अधिकारियोंसे अनुरोध है कि सक्षम प्राधिकारी के प्रेक्षण का अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द अपनी एआईपीआर को पुन: जमा करे। जिन अधिकारियों को अभी अपनीएआईपीआरजमा करनी है, उनसे भी अनुरोध है कि वे उपर्युक्त टिप्पणियों का संज्ञान लें और नियमानुसार अपनीएआईपीआरभरें।

वैज्ञा. एफ(सतकता)

मुख्यालय के सभी विभागों /अनुभागों, प्रशिक्षण संस्थान - नोएडा, सीएल और क्षेत्रीय/शाखा/बीआईएस के निरीक्षण कार्यालय को परिचालित

बीआईएस-इंट्रानेट पर होस्ट करने के लिए प्रमुख(आईटीएस) को प्रति।